

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल०आर०ए० संख्या 140/2020 कैम्प भीलवाड़ा

सुरमा पिता रामकरण जी मीणा निवासी भाव का गुढ़ा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांत

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बिजेठा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरुद्ध निर्णय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सा० भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 38/2018 अपील दिनांक 04.04.2018 एवं विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार सा० जहाजपुर दिनांक 14.11.2017 प्रकरण संख्या 665/2017

उपस्थित अभिभाषक:—श्री बी०एल०बापना(अपीलांत अभि०)

राजकीय अभिभाषक:—अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:—29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भाव का गुढ़ा तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 821/683, में रकबा 3 बीघा भूमि पर अपीलांत सुरमा पिता रामकरण मीणा निवासी भाव का गुढ़ा द्वारा अतिक्रमण करने पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण संख्या 665/2017 अन्तर्गत 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज करवाकर अपना निर्णय दिनांक 14.11.2017 से अपीलांत को अपीलांत को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानते हुए विवादित भूमियों से बेदखल करने एवं पैनाल्टी वसूल किये जाने तथा 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। तहसीलदार के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रकरण संख्या 38/2018 से दर्ज करवायी गयी। जिसमें बाद सुनवाई अपना निर्णय दिनांक 04.04.2018 से अपीलांत की अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय दिनांक 14.11.2017 यथावत रखा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. तहसीलदार जहाजपुर द्वारा शीघ्रता से निर्णय किया है।
2. वादग्रस्त भूमियों बाबत मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा निर्णय दिया गया है तथा हमे सुनवाई का जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।
3. पश्चातवृत्ति अतिक्रमी गलत तरीके से माना गया है जबकि पूर्व में कोई बेदखल नहीं किया गया है। अंत में अपील को स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील के साथ अपीलांत द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलांत ने बताया है कि बिना उन्हें सुने मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय करते हुए निर्णय दिया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उसका भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अपील निर्णय तक

अपीलाधीन आदेश को स्थगित रखा जायें। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय से व्यथित होकर तत्समय अपीलांट द्वारा प्रथमतः दिनांक 20.04.2018 को आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 17.12.2019 को राजस्व ग्रुप-6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु पत्रावली उनके द्वारा प्रेषित की गई। न्यायालय हाजा में उक्त पत्रावली 140/2020 दिनांक 03.03.2020 को दर्ज की गई।

बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया है। बिना पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए हमे पश्चातवृत्ति अतिक्रमी माना है तथा 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा दी गई है। कब्जा छोड़ दिया है। शपथ पत्र दिया है। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा मात्र दो पेशी में निर्णय दिया गया है। जवाब हेतु अवसर नहीं दिया गया है। आरबीजे 2001 पेज 475 के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाये तथा पूर्व आदेश की कापी हो तथा पूर्व बेदखली बाबत रिपोर्ट हो। तभी सिविल कारावास की सजा पर निर्णय किया जाये। मगर वर्तमान प्रकरण में ऐसी एक भी बात का अनुसरण नहीं किया गया है। जो उचित नहीं है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2018 का है और तत्समय अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 20.04.2018 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीयों-ऑर्डरशीट, निर्णय का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के निर्णय प्रकरण संख्या 665/2017 की ऑर्डरशीट का अवलोकन किया गया। यह सही पाया गया कि मात्र दो पेशी पर ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। तहसीलदार द्वारा जल्दबाजी में निर्णय किया जाना पाया जाता है। दूसरी पेशी दिनांक 14.11.2017 को यह अंकित है कि पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उपस्थित/अनुपस्थित निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिक्रमी उपस्थित हुई या नहीं हुई इस बाबत न्यायालय प्रोसिडिंग में कुछ अंकित नहीं किया गया। मगर विस्तृत निर्णय में अतिक्रमी के उपस्थित होने बाबत अंकन है। अपने निर्णय में तहसीलदार ने अंकित किया है कि अतिक्रमी का उक्त अतिचार पश्चातवृत्ति होने होकर विगत वर्ष भी अतिक्रमी में उक्त भूमि पर अतिचार किया था। जिसकी मिसल कायम कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने एवं शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय पारित किया गया। पटवारी हल्का को, अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखलीनामा प्रस्तुत किया गया। पुनः इस वर्ष अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर लिया। निर्णय देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया है। पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये गये। ना ही अतिक्रमी के बयान लिये गये सुनवाई के प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। बिना कोई साक्ष्य सबूत लिये तहसीलदार द्वारा निर्णय किया जाना पाया जाता है। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 01.11.2017 को पटवारी रिपोर्ट के बाद प्रकरण दर्ज किया गया था तथा नोटिस जारी किया गया। मात्र अगली तारीख पेशी 14.11.2017 पर निर्णय कर दिया जाना पाया जाता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आरबीजे 2001 पेज 475 बजरंगा बनाम तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। उसमें दी गई फाइण्डिंग के अनुसार सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में जो आराजी से प्रार्थीगण को बेदखलन किया गया एवं जो बेदखली की कार्यवाही चली उसके आदेश की

प्रमाणित सत्यप्रतिलिपी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करते। उसके पश्चात बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रिकॉर्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे। बिना सक्षम साक्ष्य के ऐसा आदेश नहीं पारित किया जा सकता था। वर्तमान प्रकरण पर उक्त फाइलिंग सही सही रूप से चस्पा होती है। क्योंकि तहसीलदार ने अपने निर्णय में पूर्व निर्णय उनवान, पूर्व निर्णय दिनांक तथा पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली पर लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही उसके द्वारा पटवारी हल्का, अपीलांट एवं स्वतंत्र गवाहों के कोई साक्ष्य भी नहीं लिये गये। ना ही जिरह का कोई अवसर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा भी अपने निर्णय में उक्त बातों का ध्यान न रखते तहसीलदार जहाजपुर के निर्णय को उचित मानकर बड़ी चुक की है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 38/2018 निर्णय दिनांक 04.04.2018 एवं अपीलाधीन प्रकरण संख्या 665/2017 तहसील जहाजपुर निर्णय दिनांक 14.11.2017 द्वारा तहसीलदार जहाजपुर को 15 दिवस की सिविल कारावास की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर